



उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम (उपनल)  
Uttarakhand Purv Sainik Kalyan Nigam (UPNL)



Andaman Road, Garhi Cantt, Dehradun - 248003 Telfax : 0135-2754041  
Website - [www.upnl.co.in](http://www.upnl.co.in), E-mail : [upnl.ua@rediffmail.com](mailto:upnl.ua@rediffmail.com), [info@upnl.co.in](mailto:info@upnl.co.in), [rpo@upnl.co.in](mailto:rpo@upnl.co.in)

7004 / ई०एस०आई०/२०२२

०३ सितम्बर 2022

उपनल कर्मचारियों के ई०एस०आई० कार्ड बनवाने, चोटिल होने एवं मृत्यु होने के सम्बन्ध में

महोदय,

1. आपको अवगत कराया जाता है कि उपनल के जो भी कर्मचारी आपके विभाग में कार्यरत हैं एवं ई०एस०आई० के सदस्य हैं तथा जिन्होंने अभी तक ई०एस०आई० ई०-पहचान कार्ड नहीं बनवाया है जबकि उनका ई०एस०आई० अंशदान नियमित रूप से जमा किया जा रहा है। अतः आपसे अनुरोध है कि आप उन सभी कर्मचारियों को सूचित करें कि वह निम्नलिखित दस्तावेज उपनल कार्यालय में अतिशीघ्र जमा कराये, ताकि इनका ई०-पहचान कार्ड बनाया जा सके :—

- (क) ई०एस०आई० फार्म न० – १ (घोषणा पत्र) को पूर्ण रूप से भरकर।
- (ख) स्वयं एवं सभी आक्रितों के आधार कार्ड की छायाप्रति।
- (ग) सम्बन्धित कर्मचारी के बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति।
- (घ) 2 x ग्रुप फोटो।
- (च) यदि कर्मचारी का पहले से ई०एस०आई० नम्बर है तो वह इस फार्म में जरूर लिखें।

2. इसके अतिरिक्त नये कार्मिकों के ई०एस०आई० फार्म भी नियुक्ति के 6 दिन के अन्दर उपनल कार्यालय में जमा करायें ताकि उनका रजिस्ट्रेशन नियमानुसार नियुक्ति के 10 दिन के अन्दर किया जा सके। इस सम्बन्ध ई०एस०आई० पोर्टल पर दिखाये जा रहे निर्देशों की छायाप्रति संलग्न की जा रही है।

3. आपको यह भी अवगत कराना है कि बहुत से कर्मचारी दुर्घटना ग्रस्त होने के कारण चोटिल भी हो रहे हैं एवं दुर्भायवश कुछ कर्मचारियों की आकस्मिक मृत्यु भी हो जाती है लेकिन उनकी सूचना समय पर उपनल कार्यालय को प्रेषित नहीं की जा रही है। ई०एस०आई० के नियमानुसार कर्मचारी के डयूटी के दौरान चोटिल होने एवं मृत्यु होने पर इसकी सूचना 24 घंटे के अन्दर उपनल कार्यालय को प्रेषित करना अति आवश्यक है ताकि यह सूचना ई०एस०आई० शाखा कार्यालय को अग्रसारित की जा सके एवं उसको ई०एस०आई० का हितलाभ मिल सके। (Para 68 of The Employees' State Insurance Regulations 1950).

4. आपसे निवेदन है कि आप प्रत्येक कर्मचारी जो ई०एस०आई० का सदस्य है उसको सूचित करे कि यदि वह अचानक बीमार होता है तो वह आपात स्थिति में किसी भी अस्पताल में भर्ती हो सकता है लेकिन उसकी 24 घंटे के अन्दर अपने नजदीक के कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय को सूचित करना होगा।

5. इस सम्बन्ध में पहले भी समय – समय पर अवगत कराया जा चुका है एवं अभी भी अवगत कराया जा रहा है कि जिन कर्मचारियों का ई०एस०आई० ई०-पहचान पत्र न बनाने कारण से, कर्मचारी की मृत्यु एवं डयूटी के दौरान चोट ग्रस्त होने की सूचना समय पर न मिलने के कारण, यदि कोई कर्मचारी एवं उसके आक्रित ई०एस०आई० हितलाभ से वंचित रह जाते हैं तो इसकी जिम्मेवारी स्वयं कर्मचारी एवं मुख्य नियोक्ता विभाग की होगी।

भवदीय



मेजर हिमाशु रत्नला (अ०प्रा०)

उप-महाप्रबन्धक (ई०एस०आई० एवं अधिष्ठान)  
कृते प्रबन्ध निदेशक

